रजिस्टर्ड

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकुला।

सेवा मे,

1. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. डी0पी0आई0 यू0टी0 प्रशासन चण्डीगढ़।
3. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा गुरूग्राम

यादी क्रमांक KW 15/55–2025 TGT Promotion (1)
दिनांक, पंचकूला 3.02.2026

विषय:– **पी0आर0टी0/सी0एण्ड0वी0 से टी0जी0टी0 विषय (सामाजिक अध्ययन को छोड़कर) सभी विषयो के पदौन्नति मामले/वांछित दस्तावेज भिजवाने मे देरी व लापरवाही बरतने पर कार्यवाही बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादि क्रमांक 15/28-2023 TGT Pro (1) dated 31.01.2024, 08.07.2024 and KW 15/27-2024 TGT Pro(2) 07.04.2025, 15/17-2024 TGT Pro(2) 11.07.2025 व 11.09.2025 की निरन्तरता में।

विषयांकित मामले मे आपको लिखा जाता है कि वर्तमान मे विभाग द्वारा जे0बी0टी0/सी0एण्ड0वी0 से टी0जी0टी0 विभिन्न विषयो (सामाजिक अध्ययन को छोड़कर) पर पदौन्नतियां की है। परन्तु पाया गया है कि निर्दिष्ट तिथि निर्धारित करने के बावजूद भी कई पात्र अध्यापको के पदौन्नति मामले क्षेत्रीय कार्यालयो मे किसी भी स्तर पर लापरवाही की वजह से निदेशालय मे देरी से प्राप्त हुए तथा यहां यह भी संज्ञान मे आया कि जिला/स्टेशन बदले जाने के कारण कुछ अध्यापको द्वारा जान–बूझ कर आवेदन नही किया गया जोकि उचित नही है। नियमानुसार उन अध्यापको की पदौन्नति परित्याग (Forgo) मानते हुए HCS ACP Rules 2016 के नियम–14 (Forgo Rules) के तहत कार्यवाही की जानी बनती थी परन्तु निदेशालय द्वारा फिर भी उदारता पूर्ण रवैया अपनाते हुए क्षेत्रीय कार्यालयो को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये लिखा गया था कि सम्बन्धित विषय की वरिष्ठता सूचि अनुसार यदि किसी भी पात्र अध्यापक का पदौन्नति मामला किसी कारणवश निदेशालय मे नही भेजा गया है तो निम्नलिखिति तीन बिन्दुओ पर सुनिश्चिता करते हुये पूर्व मे जारी दिशा–निर्देशो के तहत हरियाणा स्कूल (ग्रुप–सी) संशोधित सेवानियम 2023 अनुसार 10 दिन का समय देते हुये पदौन्नति मामला निर्धारित प्रोफॉमा अनुसार तथा Excel Sheet में तैयार करके अपनी स्वत: स्पष्ट टिप्पणी सहित Soft Copy व Hard copy में हर अवस्था में भिजवाने बारे निर्देश दिये गये थे। तीन महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार से थे–

नोट:– **1. आपके जिले मे कार्यरत यदि कोई पात्र जे0बी0टी0/सी0एण्ड0वी0 पदौन्नति नही लेना चाहता है तो उसकी सहमति शपथ पत्र सहित निदेशालय मे भेजना सुनिश्चित करें**

2. किसी भी पात्र अध्यापक का पदौन्नति मामला आपके जिले मे शेष नही है।

3. वरिष्ठता तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपके जिले मे कोई भी अध्यापक पदौन्नति/फोरगो हेतू विचारने बारे शेष नही है।

सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी उपरोक्त तीनो बिन्दुओ बारे प्रमाणित करना सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो के बावजूद भी यह पाया गया है कि किसी भी विषय मे क्षेत्रीय कार्यालय मे किसी भी स्तर पर देरी व लापरवाही के कारण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पदौन्नति मामले प्राप्त नही हुए है। पदौन्नति आदेश जारी होने उपरान्त वांछित दस्तावेज भेजने हेतू भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बहुत देरी व लापरवाही संज्ञान मे आयी है। अध्यापको द्वारा निदेशालय मे उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज/पदौन्नति मामले निर्धारित समय–सीमा मे जमा करवाने के बावजूद सम्बन्धित दस्तावेज निदेशालय मे प्रषित न करने बारे शिकायत की जाती है। कई जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियो से इस बारे शपथ पत्र प्राप्त होने के बावजूद भी उनके जिले से पदौन्नति मामले प्राप्त हुए है। जिससे की अवांछित अनावश्यक लिटिगेशन का सामना करना पडता है तथा पदौन्नति कार्यवाही का उचित प्रकार से न्यायपूर्ण निपटान प्रभावित होता है।

अब पुनः आपको सख्त निर्देश देते हुये लिखा जाता है कि पदौन्नति मामले व वांछित दस्तावेज निर्धारित समय–सीमा के अन्दर ही भेजना ही सुनिश्चित करेंगे तथा निर्दिष्ट तिथि (Cut of date) बीत जाने के बाद अथवा अनावश्यक देरी से पदौन्नति मामले व वांछित दस्तावेज भेजते समय देरी के लिये किसी भी स्तर पर जिम्मेवार कर्मचारी/अधिकारी (सम्बन्धित अध्यापक/स्कूल इन्चार्ज/क्लर्क/सम्बन्धित सहायक/अधिकारी)का अनुशासनात्मक कार्यवाही सिफारिश सहित नाम अंकित करते हुये भेजना सुनिश्चित करेंगें।

नोटः– जिन अध्यापको द्वारा जान–बुझकर पदौन्नति मामले नही भेजे गये उनकी पुष्टि करके उन अध्यापको के मामले मे HCS ACP Rules 2016 के नियम–14 (Forgo Rules) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इसे उच्च प्राथमिकता दें।

2/3/2016

प्रशासनिक अधिकारी
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।